

क्रमांक/समग्र शि.अ./कम्प्यूटर/2025-26/3217

भोपाल, दिनांक 16/09/2025

प्रति,

4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
6. संबंधित प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:-समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएमश्री योजना अंतर्गत अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:-क्रमांक/समग्र शि.अ./कम्प्यूटर/2025-26/2025, दिनांक 05.08.2025।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत पीएमश्री विद्यालयों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, प्री-प्राइमरी अतिथि शिक्षक, स्पोर्ट्स टीचर एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालयों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर एवं स्पेशल एजुकेशन अतिथि शिक्षक रिक्त पदों के लिये (फेज-2) च्वाइस फिलिंग से शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया तथा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कार्यरत विषयांतर्गत अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग निम्नलिखित समय-सारिणी अनुसार किया जा सकेगा :-

क्र	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	पंजीकृत आवेदकों द्वारा PGFMS पोर्टल पर रिक्त पदों के लिए विकल्प का चयन करना।	आवेदक द्वारा	16.09.2025 से 18.09.2025 तक
2	पूर्व से उपस्थित आवेदकों द्वारा री-ज्वॉइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	19.09.2025 से 19.09.2025 तक
3	शाला आवंटन एवं आवेदक द्वारा रिक्वेस्ट दर्ज करना	आवेदक द्वारा	20.09.2025 से 23.09.2025 तक
4	आवेदक की उपस्थित रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना।	शाला प्रभारी द्वारा	19.09.2025 से 24.09.2025 तक

आई.सी.टी. कम्प्यूटर लैब के स्थापित एवं संचालित होने की स्थिति में ही कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाये।

पूर्व से कार्यरत आवेदकों हेतु री-ज्वॉइनिंग के लिए यह अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आवेदक द्वारा नियत समयसीमा में पोर्टल पर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो आवेदक री-ज्वॉइनिंग हेतु कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करें।


(डी.एस.कुशवाह)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्रमांक/समग्र शि.अ./ अति.शि /2025-26/3218

भोपाल, दिनांक-16/09/2025

प्रतिलिपि:-

8. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
9. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
10. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
13. महाप्रबंधक, निक्सी विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. संबंधित प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनमें पत्र में उल्लेखित योजनाएं संचालित हैं।


संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश